न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः- 2021/17 दर्ज तिथिः-08.01.2021

1. चेतनराम पुत्र रूपाराम
2. फगलूराम पुत्र रूपाराम
3. प्रागाराम पुत्र रूपाराम
4. भगवानाराम पुत्र रूपाराम
5. सूआदेवी पत्नी रूपाराम
6. दुर्गाराम पुत्र किरताराम
7. नरसाराम पुत्र किरताराम
8. सांवलाराम पुत्र किरताराम
9. प्रभुराम पुत्र किरताराम
10. वरधाराम पुत्र किरताराम
11. केसीदेवी पत्नी किरताराम
12. भंवराराम पुत्र गिरधारीराम
13. छोगाराम पुत्र गिरधारीराम
14. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम
15. वेहनाराम पुत्र गिरधारीराम
16. भावाराम पुत्र हमीराराम
17. पूराराम पुत्र हमीराराम
18. पुखराज पुत्र हमीराराम
19. लच्छाराम पुत्र हमीराराम
20. खंगाराराम पुत्र प्रेमाराम
    जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
21. सुन्दर पत्नी हमीराराम फौत के कायम मुकाम वादीगण संख्या 16 ता 19

........................वादी

बनाम

1. गेना पुत्र भारमल
2. आदा पुत्र भारमल
3. बीजा पुत्र भारमल
4. नेनू पत्नी भारमल
5. मदरूपा पुत्र मनरा
6. सदा पुत्र मनरा
7. ताजा पुत्र मनरा
8. अना पुत्र मनरा
9. मिसरा पुत्र मनरा
10. खेराज पुत्र मनरा
11. रगा पुत्र पता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

12. खेता पुत्र पता
13. घमा पुत्र पूनमा
14. छगना पुत्र पूनमा
15. दलीदेवी पत्नी पूनमा
16. सरदाराराम पुत्र टीलाराम
17. नगाराम पुत्र टीलाराम
18. फरसाराम पुत्र टीलाराम
19. भवाराम पुत्र टीलाराम
20. पुखराज पुत्र टीलाराम
21. ढेलीदेवी पत्नी टीलाराम
22. पूराराम पुत्र अजाराम
23. हरा पुत्र वीरा

जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

24. मैनेजर एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
25. मैनेजर भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
26. मैनेजर बीसीसीबी बैंक गुड़ामालानी
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री हरिश चौधरी
प्रतिवादीगणः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

&%fu.kZ;%&

निर्णय तिथिः– 03.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त हाल आराजी खसरा संख्या 267 ⁄ 3.3751 है0, 284 ⁄ 8.6926 है0 मौजा वीरदास नगर एवं खसरा संख्या 290 ⁄ 7.5514 है0, 293 ⁄ 13.3303 है0, 301 ⁄ 14.7791 है0 मौजा मनराणी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के [illegible] अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय [illegible] करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात की पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान–ए–बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.06.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/756 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/756 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1328–1369 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1328–1369 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 02.05.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट [illegible] सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 207[illegible]–2077 एवं 2070–2073 तथा कुर्रेजात

रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 267 / 3.3751 है0, 284 / 8.6926 है0 मौजा वीरदास नगर एवं खसरा संख्या 290 / 7.5514 है0, 293 / 13.3303 है0, 301 / 14.7791 है0 मौजा मनराणी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 267/3.3751 है0, 284/8.6926 है0 मौजा वीरदास नगर एवं खसरा संख्या 290/7.5514 है0, 293/13.3303 है0, 301/14.7791 है0 मौजा मनराणी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

<table>
<tr><th>खातेदार</th><th>ग्राम</th><th>खसरा</th><th>रकबा</th><th>किस्म</th></tr>
<tr><td rowspan="5">अना पुत्र मनरा हि0 1/42
खेराज पुत्र मनरा हि0 1/42
ताजा पुत्र मनरा हि0 1/42
मदरूपा पुत्र मनरा हि0 1/42
मिसरा पुत्र मनरा हि0 1/42
सदा पुत्र मनरा हि0 1/42
आदा पुत्र भारमल हि0 1/168
गेना पुत्र भारमल हि0 1/168
बींजा पुत्र भारमल हि0 1/168
नेनू पत्नी भारमल हि0 1/168
खेता पुत्र पता हि0 1/12
रूगा पुत्र पता हि0 1/12
घमा पुत्र पूनमा हि0 1/18
छगना पुत्र पूनमा हि0 1/18
दली पत्नी पूनमा हि0 1/18
पूरा पुत्र अजा हि0 1/6
नगा पुत्र टीला हि0 1/36
पुखराज पुत्र टीला हि0 1/36
फरसा पुत्र टीला हि0 1/36
भवा पुत्र टीला हि0 1/36
सरदारा पुत्र टीला हि0 1/36
ढेलोंदेवी पत्नी टीला हि0 1/36
जगदीश पुत्र हराराम हि0 1/48
मंगलाराम पुत्र हराराम हि0 1/48
मकाराम पुत्र हराराम हि0 1/48
महादेवा पुत्र हराराम हि0 1/48
रामाराम पुत्र हराराम हि0 1/48
समरथाराम पुत्र हराराम हि0 1/48
सोमाराम पुत्र हराराम हि0 1/48
अन्तरोंदेवी पत्नी हराराम हि0 1/48
जाति भील सा0 देह खातेदार</td><td>वीरदास नगर</td><td>267
284</td><td>1.6876
4.3463</td><td>बा0सो0
बा0सो0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 02 रकबा 6.0339 है0</td></tr>
<tr><td>मनराणी भीलों की ढाणी</td><td>290
293
301</td><td>3.7757
6.6652
7.3895</td><td>बा0सो0
बा0सो0
बा0सो0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 03 रकबा 17.8304 है0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">चेतन पुत्र रूपा हि0 1/25
प्रागा पुत्र रूपा हि0 1/25
फगलू पुत्र रूपा हि0 1/25
भगवाना पुत्र रूपा हि0 1/25
सुआ पत्नी रूपा हि0 1/25
दरगाराम पुत्र किरता हि0 1/30
नरसाराम पुत्र किरता हि0 1/30
प्रभुराम पुत्र किरता हि0 1/30
वरधाराम पुत्र किरता हि0 1/30
सांवलाराम पुत्र किरता हि0 1/30
केसी पत्नी किरता हि0 1/30
छोगाराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20
भंवराराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20
मोहनराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20
वेनाराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20</td><td>वीरदास नगर</td><td>267
284</td><td>1.6875
4.3463</td><td>बा0सो0
बा0सो0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 02 रकबा 6.0338 है0</td></tr>
<tr><td>मनराणी भीलों की ढाणी</td><td>290
293
301</td><td>3.7757
6.6651
7.3895</td><td>बा0सो0
बा0सो0
बा0सो0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 03 रकबा 17.8304 है0</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

पुखराज पुत्र हमीरा हि0 1/25 पूरा पुत्र हमीरा हि0 1/25 भावा पुत्र हमीरा हि0 1/25 लच्छाराम पुत्र हमीरा हि0 1/25 सुन्दर पत्नी हमीरा हि0 1/25 खंगारा पुत्र प्रेमा हि0 1/5 जाति भील सा0 देह खातेदार	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/17 दर्ज तिथिः–08.01.2021

1. चेतनराम पुत्र रूपाराम
2. फगलूराम पुत्र रूपाराम
3. प्रागाराम पुत्र रूपाराम
4. भगवानाराम पुत्र रूपाराम
5. सूआदेवी पत्नी रूपाराम
6. दुर्गाराम पुत्र किरताराम
7. नरसाराम पुत्र किरताराम
8. सांवलाराम पुत्र किरताराम
9. प्रभुराम पुत्र किरताराम
10. वरधाराम पुत्र किरताराम
11. केसीदेवी पत्नी किरताराम
12. भंवराराम पुत्र गिरधारीराम
13. छोगाराम पुत्र गिरधारीराम
14. मोहनराम पुत्र गिरधारीराम
15. वेहनाराम पुत्र गिरधारीराम
16. भावाराम पुत्र हमीराराम
17. पूराराम पुत्र हमीराराम
18. पुखराज पुत्र हमीराराम
19. लच्छाराम पुत्र हमीराराम
20. खंगाराराम पुत्र प्रेमाराम
    जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
21. सुन्दर पत्नी हमीराराम फौत के कायम मुकाम वादीगण संख्या 16 ता 19

........................वादी

<u>बनाम</u>

1. गेना पुत्र भारमल
2. आदा पुत्र भारमल
3. बीजा पुत्र भारमल
4. नेनू पत्नी भारमल
5. मदरूपा पुत्र मनरा
6. सदा पुत्र मनरा
7. ताजा पुत्र मनरा
8. अना पुत्र मनरा
9. मिसरा पुत्र मनरा
10. खेराज पुत्र मनरा
11. रगा पुत्र पता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

12. खेता पुत्र पता
13. घमा पुत्र पूनमा
14. छगना पुत्र पूनमा
15. दलीदेवी पत्नी पूनमा
16. सरदाराराम पुत्र टीलाराम
17. नगाराम पुत्र टीलाराम
18. फरसाराम पुत्र टीलाराम
19. भवाराम पुत्र टीलाराम
20. पुखराज पुत्र टीलाराम
21. ढेलीदेवी पत्नी टीलाराम
22. पूराराम पुत्र अजाराम
23. हरा पुत्र वीरा
    जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

24. मैनेजर एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
25. मैनेजर भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
26. मैनेजर बीसीसीबी बैंक गुड़ामालानी
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरिश चौधरी
प्रतिवादीगणः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

&%i pk fMØh%&

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 267/3.3751 है0, 284/8.6926 है0 मौजा वीरदास नगर एवं खसरा संख्या 290/7.5514 है0, 293/13.3303 है0, 301/14.7791 है0 मौजा मनराणी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अना पुत्र मनरा हि0 1/42 खेराज पुत्र मनरा हि0 1/42 ताजा पुत्र मनरा हि0 1/42 मदरूपा पुत्र मनरा हि0 1/42 मिसरा पुत्र मनरा हि0 1/42 सदा पुत्र मनरा हि0 1/42 आदा पुत्र भारमल हि0 1/168 गेना पुत्र भारमल हि0 1/168 बींजा पुत्र भारमल हि0 1/168 नेनू पत्नी भारमल हि0 1/168 खेता पुत्र पता हि0 1/12 रूगा पुत्र पता हि0 1/12 घमा पुत्र पूनमा हि0 1/18 छगना पुत्र पूनमा हि0 1/18 दली पत्नी पूनमा हि0 1/18 पूरा पुत्र अजा हि0 1/6 नगा पुत्र टीला हि0 1/36 पुखराज पुत्र टीला हि0 1/36 फरसा पुत्र टीला हि0 1/36 भवा पुत्र टीला हि0 1/36 सरदारा पुत्र टीला हि0 1/36 ढेलोंदेवी पत्नी टीला हि0 1/36 जगदीश पुत्र हराराम हि0 1/48 मंगलाराम पुत्र हराराम हि0 1/48 मकाराम पुत्र हराराम हि0 1/48 महादेवा पुत्र हराराम हि0 1/48 रामाराम पुत्र हराराम हि0 1/48 समरथाराम पुत्र हराराम हि0 1/48 सोमाराम पुत्र हराराम हि0 1/48 अन्तरोंदेवी पत्नी हराराम हि0 1/48 जाति भील सा0 देह खातेदार	वीरदास नगर	267 284	1.6876 4.3463	बा0सो0 बा0सो0
	कुल किता 02 रकबा 6.0339 है0			
	मनराणी भीलों की ढाणी	290 293 301	3.7757 6.6652 7.3895	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
	कुल किता 03 रकबा 17.8304 है0			
चेतन पुत्र रूपा हि0 1/25 प्रागा पुत्र रूपा हि0 1/25 फगलू पुत्र रूपा हि0 1/25 भगवाना पुत्र रूपा हि0 1/25 सुआ पत्नी रूपा हि0 1/25 दरगाराम पुत्र किरता हि0 1/30 नरसाराम पुत्र किरता हि0 1/30 प्रभुराम पुत्र किरता हि0 1/30 वरधाराम पुत्र किरता हि0 1/30 सांवलाराम पुत्र किरता हि0 1/30 केसी पत्नी किरता हि0 1/30 छोगाराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20 भंवराराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20 मोहनराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20 वेनाराम पुत्र गिरधारीराम हि0 1/20	वीरदास नगर	267 284	1.6875 4.3463	बा0सो0 बा0सो0
	कुल किता 02 रकबा 6.0338 है0			
	मनराणी भीलों की ढाणी	290 293 301	3.7757 6.6651 7.3895	बा0सो0 बा0सो0 बा0सो0
	कुल किता 03 रकबा 17.8304 है0			

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

पुखराज पुत्र हमीरा हि0 1/25 पूरा पुत्र हमीरा हि0 1/25 भावा पुत्र हमीरा हि0 1/25 लच्छाराम पुत्र हमीरा हि0 1/25 सुन्दर पत्नी हमीरा हि0 1/25 खंगारा पुत्र प्रेमा हि0 1/5 जाति भील सा0 देह खातेदार	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.10 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested